<u>महत्वपूर्ण</u>

<u>संख्या- -282/38-6-15-9(एसआरएलएम)/2015</u>

प्रेषक,

वी0हेकाली झिमोमी,

सचिव,

उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी,(एनआरएलएम जनपद नाम से)

उत्तर प्रदेश।

ग्राम्य विकास अनुभाग-6 लखनऊ दिनांक 03मार्च, 2015

विषय-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अन्तर्गत उपायुक्त, स्वत: रोजगार योजना को उनके कार्य के अतिरिक्त कोई अन्य कार्य न दिये जाने के संबंध में।

महोदय,

राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन योजना भारत सरकार की एक अतिमहत्वपूर्ण महत्वाकांशी योजना है। आपका जनपद राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अन्तर्गत इन्टेन्सिव रूप से चयनित है। योजना के अन्तर्गतगुणवत्तापूर्ण प्रगति सुनिश्चित की जानी है। अतएव लक्षित कार्यो को समयबद्व रूप से पूर्ण करने हेतु योजना का प्रभावी नियोजन, क्रियान्वयन तथा अनुश्रवण प्राथमिकता से वांछित है।

2- अत: इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद स्तर पर योजनान्तर्गत उपायुक्त, स्वत: रोजगार के पद पर तैनात अधिकारियों को राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के कार्य के अतिरिक्त कोई अन्य कार्य न सौंपा जाए। अपरिहार्य परिस्थितियों में यदि जनपद में विकास खण्ड स्तर के अधिकारियों का अभाव हो, तो आवश्यकतानुसार कारण स्पष्ट करते हुए उपायुक्त, स्वत: रोजगार को केवल जनपद के इन्टेन्सिव ब्लाक के खण्ड विकास अधिकारी के कार्यो का दायित्व सौपा जा सकता है किन्तु जनपद में पर्याप्त संख्या में खण्ड विकास अधिकारियों की तैनाती होने के उपरान्त उपायुक्त, स्वत: रोजगार से यह अतिरिक्त प्रभार हटा लिया जाए।

कृपया उक्त आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए योजना के लक्ष्य/ प्रगति सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीया,

(वी0हेकाली झिमोमी)

सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या:- -282(1)/38-6-2015, तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- आयुक्त, ग्राम्यय विकास, उ0प्र0 जवाहर भवन, लखनऊ।
2- मिशन निदेशक, यूपीएसआरएलएम, उ0प्र0 लखनऊ।
3- उपायुक्त्, स्वत: रोजगार, संबंधित जनपद।
4- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(प्रभात कुमार श्रीवास्तव)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in